न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 166/2024 अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हुकमाराम पुत्र हीराराम जाति जाट, निवासी उंचावड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. गोमदाराम पुत्र देवाराम 2. देवाराम पुत्र सोनाराम 3. रूपाराम पुत्र देवाराम 4. अनाराम पुत्र पताराम 5. गणेशाराम पुत्र पताराम 6. चैनीदेवी पत्नी पताराम 7. मोटाराम पुत्र पताराम 8. गवरीदेवी पत्नी सताराम 9. जेठाराम पुत्र सताराम 10. लक्ष्मण पुत्र सताराम 11. हरूराम पुत्र सताराम 12. खेताराम पुत्र मगाराम 13. पेमाराम पुत्र मगाराम 14. पूरोंदेवी पत्नी मगाराम 15. बागाराम पुत्र मगाराम 16. देवाराम दत्तक पुत्र छताराम 17. गोसाईराम चौधरी पुत्र दुर्गाराम 18. दुर्गाराम पुत्र ताजाराम 19. केशाराम पुत्र नारणाराम 20. बाबूराम पुत्र नारणाराम 21. मीरोदेवी पत्नी नारणाराम 22. रामाराम पुत्र नारणाराम 23. विरधाराम पुत्र नारणाराम 24. गोरधनराम पुत्र ताजाराम 25. सताराम पुत्र खुमाराम जाति जाट, निवासी उंचावड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 26. उमाराम पुत्र तुलछाराम 27. गिरधारीराम पुत्र तुलछाराम 28. भीखाराम पुत्र तुलछाराम 29. रामजीराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट, निवासी कानोडा, तहसील गिड़ा हाल निवासी रातड़ी, तहसील शिव, जिला बाड़मेर 30. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा मौखाब 31. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू 32. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक कानासर 33. शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैंक शाखा बाड़मेर 34. शाखा प्रबंधक दी बाड़मेर सैन्ट्रल को–ऑपरेटिवबैक सवाउ पदमसिंह 35. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थी – श्री बालाराम गोदारा।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 29 :– नरेन्द्रसिंह सियाग।

उपखण्ड अधिकारी, शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

–:: आदेश ::–

दिनांक : 02.09.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 1111/1049 रकबा 4.4111 हैक्टेयर मौजा उंचावड़ा, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थी संख्या 1 से 25 की खातेदारी मौजा उंचावड़ा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 492/67, 1110/1049,1049/65, 1054/72, 1053/72, 72, 65, 1055/72 एवं विप्रार्थी संख्या 26 से 29 की खातेदारी मौजा रातड़ी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 1002 की भूमि में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम या कटाण रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थी रास्ते हेतु घोषित होने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त रास्ते हेतु मौजा उंचावड़ा, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 12 से 15 के खसरा नम्बर 1054/72 रकबा 8.8464 हैक्टेयर में से रकबा 0.0854 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 19 से 23 के खसरा नम्बर 65 रकबा 13.1846 हैक्टेयर में से रकबा 0.0417 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 8 से 11 के खसरा नम्बर 1049/65 रकबा 4.3949 हैक्टेयर में से 0.1122 हैक्टेयर, विप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 से 3 के खसरा नम्बर 492/67 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से रकबा 0.1470 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 4 से 7 के खसरा नम्बर 1110/1049 रकबा 4.4111 हैक्टेयर में से रकबा 0.0784 हैक्टेयर तथा मौजा रातड़ी, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 26 से 29 के खसरा नम्बर 1002 रकबा 3.0675 हैक्टेयर में से रकबा 0.0607 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 20 फीट है। विप्रार्थी संख्या 1 से 29 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब पेश कर बिना प्रतिफल राशि लिये प्रस्तावित रास्ता कटाण हेतु सहमति प्रदान की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें। विप्रार्थी संख्या 1 से 29 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए बिना प्रतिफल राशि लिये निःशुल्क रास्ता कटाण हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा उंचावड़ा, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 12 से 15 के खसरा नम्बर 1054/72 रकबा 8.8464 हैक्टेयर में से रकबा 0.0854 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 19 से 23 के खसरा नम्बर 65 रकबा 13.1846 हैक्टेयर में से रकबा 0.0417 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 8 से 11 के खसरा नम्बर 1049/65 रकबा 4.3949 हैक्टेयर में से 0.1122 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खसरा नम्बर 492/67 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से रकबा 0.1470 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 4 से 7 के खसरा नम्बर 1110/1049 रकबा 4.4111 हैक्टेयर में से रकबा 0.0784 हैक्टेयर तथा मौजा रातड़ी, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 26 से 29 के खसरा नम्बर 1002 रकबा 3.0675 हैक्टेयर में से रकबा 0.0607 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में ली जायेगी। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम एवं सुगम है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 20 फीट होगी। प्रार्थी अधिवक्ता एवं विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 1 से 29 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली उनकी खातेदारी भूमि बिना प्रतिफल राशि लिये कटाण हेतु सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा उंचावड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1111/1049 रकबा 4.4111 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु मौजा उंचावड़ा, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 12 से 15 के खसरा नम्बर 1054/72 रकबा 8.8464 हैक्टेयर में से रकबा 0.0854 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 19 से 23 के खसरा नम्बर 65 रकबा 13.1846 हैक्टेयर में से रकबा 0.0417 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 8 से 11 के खसरा नम्बर 1049/65 रकबा 4.3949 हैक्टेयर में से 0.1122 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के खसरा नम्बर 492/67 रकबा 9.7124 हैक्टेयर में से रकबा 0.1470 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 4 से 7 के खसरा नम्बर 1110/1049 रकबा 4.4111 हैक्टेयर में से रकबा 0.0784 हैक्टेयर तथा मौजा रातड़ी, तहसील शिव में विप्रार्थी संख्या 26 से 29 के खसरा नम्बर 1002 रकबा 3.0675 हैक्टेयर में से रकबा 0.0607 हैक्टेयर भूमि का प्रभावित पक्षकारान् द्वारा बिना प्रतिफल राशि लिये सहमति प्रदान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 02.09.2024 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner